कशिोर न्याय अधनियिम के तहत 'छत्तीसगढ़ बाल कोष' गठति

चर्चा में क्यों?

2 अगस्त, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क वभिाग से मलिी जानकारी के अनुसार कशिोर न्याय नधिकि प्रावधान अनुसार राज्य में बच्चों के सर्वोत्तम हति में 'छत्तीसगढ़ बाल कोष' का गठन कयिा गया है।

प्रमुख बदिु

- छत्तीसगढ़ बाल कोष में बालकों के कल्याण और पुनर्वास के लयि दान, अनुदान, अंशदान के माध्यम से सहयोग राशदिी जा सकती है।
- इस राशकिा उपयोग कशिोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधनियिम, 2015 के प्रावधानों के तहत आने वाले बच्चों की शक्षिा-दीक्षा, पुनर्वास जैसे उनके सर्वोत्तम हति में खर्च करने हेतु कयिा जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ बाल कोष के क्रयािन्वयन के संबंध में सभी कलेक्टरों और ज़लिा बाल कल्याण एवं संरक्षण समतियिों को अधसिूचना दनिांक 23 मार्च, 2022 के माध्यम से वसि्तृत दशिा नरि्देश जारी कयि गए हैं।
- राज्य सरकार के महलिा एवं बाल वकिास द्वारा बच्चों के हति के लयि दान, अनुदान, अंशदान प्राप्त करने हेतु राज्य स्तर पर आईसीआईसी बैंक में खाता संख्या 251501000259, आईएफएसआई संख्या **ICICI0002515** का संचालन कयिा जा रहा है।
- इस कोष में कसिी व्यक्त‍ि, समूह, संस्था [(जसिमें स्वयंसेवी संस्था, संगठन, गैर-सरकारी संस्था, ट्रस्ट आद‍ि, कॉर्पोरेट्स (नगिमति सामाजकि उत्तरदायत्वि (सीएसआर)] द्वारा स्वैच्छकि रूप से दान, अंशदान, अनुदान दयिा जा सकता है।
- इसके साथ ही छत्तीसगढ़ बाल कोष में उद्योगपत‍ि, प्रबुद्ध व्यक्त‍ि, सरकारी, गैर-सरकारी कर्मचारी और व्यापारी भी स्वैच्छकि दान, अंशदान, अनुदान कर सहयोग कर सकते हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/-chhattisgarh-bal-kosh-formed-under-the-juvenile-justice-act